न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, मुंगेर।

सत्रवाद संख्या – 282/2015 (सी0 आर0–414/15)
(असरगंज थाना कांड संख्या – 52/2015 से उत्पन्न)

राज्य बनाम् बमबम तांती।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
05.03.2021	आवेदक–अभियुक्त बमबम तांती पे0– स्व0 राधे तांती की ओर से ई–मेल के माध्यम से दाखिल आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन (I.A.-01/2021) साथ नवीन वकालतनामा की छायाप्रति प्राप्त हुई। आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्राप्त करायी गयी है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है और ग्रामीण राजनीति के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। बंधपत्र खंडित होने के बाद आवेदक के द्वारा जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय और न ही वरीय न्यायालय में दाखिल किया गया है। पैरवी नहीं होने के कारण आवेदक का बंधपत्र दिनांक 27.03.2019 को खंडित किया गया है। आवेदक जीविकोपार्जन हेतु दिल्ली चले गये थे और उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उन्हें केस की स्थिति की बारे में जानकारी नहीं दी गयी। आवेदक अपने पिता की मृत्यु होने पर घर लौटा तो उसे बंधपत्र खंडित होने की जानकारी मिली। आवेदक स्वेच्छा से न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत की प्रार्थना कर रहा है। आवेदक भविष्य में जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः आवेदक–अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक–अभियुक्त के लगातार अनुपस्थित रहने एवं उचित पैरवी नहीं किये जाने के कारण दिनांक 27.03.2019 को आवेदक–अभियुक्त का बंधपत्र खंडित किया गया है। आज आवेदक–अभियुक्त द्वारा न्यायालय में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया गया है। अतः आवेदक–अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **स्वीकृत** करते हुए मो0 10,000/ (दस हजार) रूपये तथा इतने ही समान धन राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र निष्पादित करने पर जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। आवेदक–अभियुक्त प्रत्येक तिथि को उचित पैरवी करेगा एवं मो0 1,000/– (एक हजार रूपये मात्र) खर्च (Cost) व्यवहार न्यायालय के नजारत में जमा करेगा। लेखापित अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, मुंगेर।	